बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग।

अधिसूचना।

संख्या–टी–1/स्था0(6) लि0–40/2008................../भारत संविधान के अनुच्छेद 309 परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल " बिहार प्रशिक्षण–पक्ष/संस्थान लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2011 "(समय–समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ–
   (1) यह नियमावली " बिहार प्रशिक्षण–पक्ष/संस्थान लिपिकीय संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2015 कही जा सकेगी।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह तुरन्त प्रवृत होगी।

2. बिहार प्रशिक्षण पक्ष/संस्थान लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2011 के नियम 6 के उप नियम (3) परन्तुक को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगा–

"परन्तु यह कि सीधी भर्ती से भरे जानेवाले पदों का अधिक से अधिक 10 (दस) प्रतिशत पद सरकारी सेवक, जिनकी सेवा काल में मृत्यु हो गई हो, के अश्रितों के बीच से, विहित प्रक्रियानुसार एवं ... में नियुक्त होने के लिए अहर्ताएँ धारित करने पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति द्वारा भरे जा... जिसके लिए आयोग की अनुशंसा अपेक्षित नहीं होगी। अनुकंपा नियुक्ति हेतु प्रावधानित पदों के रिक्त ... की स्थिति में इसकी सूचना संबंधित अनुकंपा समिति को भेजकर उक्त पदों हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध करा... अनुशंसा प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

3. बिहार प्रशिक्षण पक्ष/संस्थान लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2011 के नियम 6 के उप निय... निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगा :–

"(5) निम्नवर्गीय लिपिक के स्वीकृत बल का 15% पद समूह ' घ ', के वैसे कर्मी जो लिपि... पद पर नियुक्ति की आर्हता रखते हों से, बिना किसी परीक्षा के, वरीयता क्रम में, भरे जायेंगे।

4. बिहार प्रशिक्षण पक्ष/संस्थान लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2011 के नियम 6 के उप नि... एतद्द्वारा विलोपित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक– टी–1/स्था0(6) लि0–40/2008.....952..../प ट ना, दिनांक– 30–04 —2015

प्रतिलिपि:– अधीक्षक मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक– टी–1/स्था0(6) लि0–40/2008................../प ट ना, दिनांक– 30–04–2015

प्रतिलिपि:– सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्राचार्य ITI महिला सहित/क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी/क्षेत्रीय उ0 नि0 प्रशिक्षण/सभी ... प्रशिक्षण शिक्षु/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
श्रम संसाधन विभाग।